<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-43 / 12</u> <u>संस्थापित दिनांक-22.02.2012</u> Filling no-235103001102012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
......अभियोजन
विरुद्ध
1- मोहरसिह पुत्र लक्ष्मण सिह उम्र 30 साल
2- सोनू पुत्र लक्ष्मण सिह उम्र 27 साल
3- दुन्ना पुत्र ग्यारसी कुशवाह उम्र 35 साल
निवासीगण:- ग्राम फतेहाबाद चंदेरी अशोकनगर म0प्र0
......अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 07.02.2012 को समय रात्रि 9 बजे स्थान फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू के घर के पास लोक स्थल में उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया तथा उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की एवं उसी समय उसे संत्रासित करने के आशय से क्षित कारित करने की धमकी दी।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू ने अपनी पत्नी मोहरबाई के साथ थाना जुबानी रिपोर्ट किया कि दिनांक 07.02.2012 को करीब 9 बजे वह चंदेरी से अपने घर जा रहा था, जैसे ही अपने घर के पास नई बस्ती पहुँचा तो आरोपीगण मिले और फरियादी का रास्ता रोककर आगे खडे होकर बोले कहा जा रहा है, तीनो आरोपीगण शराब पीये थे और बिना कारण मां बहन की अश्लील गालियां दे रहे थे। उसने गाली देने से मना किया तो तीनो ने उसे डण्डो से मारपीट चालू कर दी जिससे उसे माथे में दो जगह और बांये आंख के पास ओठ एवं दाढी, दांहिने कनपटी के पास खून निकल आया एवं कमर में मुंदी चोट आयी, इतने में कल्लू तथा विनीता आ गये उन्होंने बीच बचाव किया तो कहने लगे आज तो बच गया आइन्दा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को

गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं कि :--
- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.02.2012 को समय रात्रि 9 बजे स्थान फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू के घर के पास लोक स्थल में उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
- 3. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर संत्रासित करने के आशय से क्षति कारित करने की धमकी दी ?

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 3:-

- 05— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानता है। वह मजदूरी करके घर जा रहा था, लगभग शाम के 8 बजे की बात है आरोपीगण उसे गालियां देने लगे और कहने लगे कि तू रिपोर्ट करने जायेगा और फिर लौटकर आयेगा फिर देखेगे। मोहरबाई अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपीगण शराब पीए हुए थे और उसके पित को गालियां दी थी। आरोपीगण जान से मारने की फिराक में थे उसने बचाया। इसके अलावा अन्य किसी साक्षी ने आरोपीगण द्वारा गालियां दी जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है।
- 06— विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू अ०सा०1 द्वारा उसके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया

कि अभियुक्तगण ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी और न ही उसके द्वारा यह व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा उसे कौन सी गालियां दी गई थी। भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

- 07— इसके अलावा स्वयं फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू अ0सा01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे दी गई अभिकथित धमकी से उसे भय तथा संत्रास कारित हुआ हो। इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही सूचनाकर्ता फुस्सू उर्फ पप्पू अ0सा01 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 1 लिखाये जाने का तथ्य सूचनाकर्ता को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।
- 08— भा0द0स0 की धारा 503 में परिभाषित "आपराधिक अभित्रास" का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोिक वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसेकी करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।
- 09— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सूचनाकर्ता फुस्सू उर्फ पप्पू अ0सा01 को मां बहन की गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

विचारणीय प्रश्न क0 2:-

10— फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू अ0सा01 ने उसके कथनो में बताया कि वह मजदूरी करके घर जा रहा था तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी जिससे उसकी

आंख, पसली और हाथ में चोट आई थी। आरोपीगण ने उसकी मारपीट लात, घूसो से की थी। घटना म्यूजियम के सामने की है। साक्षी को प्र.पी.1 की ए से ए भाग की बात पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने कहा कि उसने ऐसी ही रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि पुलिस वालों ने नक्शामौका कहा बनाया उसे जानकारी नहीं है, उसकी तो तबियत खराब हो गई थी। मौके पर विनिता कल्लू आ गये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि वह शराब नहीं पीता है। उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कहना है कि आरोपीगण घर पर आए थे और उसकी घरवाली घर पर थी, फिर रोड पर आकर मारा। उक्त साक्षी का कहना है कि कल्लू उसका छोटा भाई और विनिता उसकी बहू है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि उसके आंख, कंधे, पसली में नग—नग में चोटे आई थी और सारी चोटे उसने डॉक्टर को बता दी थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसने मोहरसिह की रिपोर्ट से बचने के लिये यह झुठी रिपोर्ट की थी।

11— मोहरबाई अ0सा02 ने उसके कथनो में बताया कि फरियादी उसका पित है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसका पति मजदूरी करने जा रहा था तो आरोपीगण ने दारू के नशे में उसके पति के साथ मारपीट की थी। आरोपीगण शराब पीए हुए थे। आरोपीगण ने लट्ट से मारपीट की थी। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना शाम के 8 बजे की है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके पति अकेले ही मजदूरी करने जा रहे थे और आरोपीगण झगडा करने नई बस्ती में आए थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसका पति शराब पीने किसी के घर नहीं जाता है और न ही शराब पीकर किसी को मारता हैं। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसका पति कभी शराब पीकर गिरा भी है। स्वतः कहा कि शराब पीकर तो दुनिया गिरती है। विनिता अ०सा०४ ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण तथा फरियादी फुस्सू को जानती है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही घटना के संबंध में किसी ने उससे पूछताछ की है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि दिनांक 07.02.2012 को उसने व उसके पति ने कोई घटना नहीं देखी।

12— कल्लू अ०सा०५ ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है तथा फरियादी फुस्सू उसका बड़ा भाई है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से 7 वर्ष पूर्व की होकर रात 9—10 बजे की है। उसे आरोपी मोहरसिह और पप्पू के झगड़े का पता चला था लेकिन उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे उसकी घरवाली अर्थात विनिता व मोहल्ले वालो ने बताया था कि मोहर सिह व सोनू ने फुस्सू की मारपीट कर दी है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि दिनांक 07.02.12 के रात्रि 9 बजे करीब वह व उसकी पत्नि विनिता बाई फुस्सू के घर जा रहे थे। साक्षी की उक्त साक्ष्य से

स्पष्ट है कि साक्षी घटना के समय उपस्थित नहीं था और उक्त साक्षी अनुश्रूत साक्षी की श्रेणी में आता है जिससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 13- रूरतम खलको अ०सा०६ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 08.02. 2012 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे फरियादी फुरसू द्वारा आरोपी दुन्ना, मोहर सिंह, सोनू के विरूद्ध रास्ता रोककर गाली देने, मारपीट करने, व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेख कराई थी और उसके द्वारा अपराध क0 56 / 12 धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत लेख की गई थी जो प्र.पी.1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि घटना के संबंध में उसके द्वारा ही प्र.पी.1 की रिपोर्ट एवं प्रकरण की विवेचना की गई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसे मोहरबाई ने यह नहीं बताया था कि आरोपीगण दारू बेचते है और जब उनकी दारू पकडी जाती है तो आरोपीगण कहते है कि फुस्सू ने दारू पकडबाई हैं। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को भी स्वीकार किया कि कल्लू फरियादी का भाई है एवं सुनीताबाई कल्लू की पत्नी है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि उसने साक्षियों के कथन दिनोंक 08.12.12 को लेखबद्ध किये थे एवं नक्शामीका बनाया था और दिनांक 19.12.12 को उसने आरोपीगण को जमानत मुचलके पर छोडा था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि उसने 08.12.12 को नक्शामौका और कथन लेने के पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लेख की थी और 08.12.12 को लिखी रिपोर्ट की विवेचना की थी जिसके वह बयान देने आया है।
- 14— प्रकरण के फरियादी फुस्सू अ0सा01 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपीगण की मारपीट में उसे आंख, पसली, हाथ में चोट आई थी और आरोपीगण ने उसकी लात, घुसो से म्यूजियम के सामने मारपीट की थी, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 का अवलोकन करने से फरियादी फुस्सू द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 में आरोपीगण द्वारा डण्डो से मारपीट करने एवं उसके माथे में, दो जगह और बांयी आंख के पास होट एवं दाढी, दांहिनी कनपटी के पास खून निकलने एवं कमर में मुंदी चोट आना लेख कराया गया है। फरियादी फुस्सू का मेडिकल परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ. एम.एल. खरका अ0सा03 ने उसके कथनो में बताया कि फरियादी फुस्सू को एक नीलगू माथे पर दांहिनी तरफ, छिलाव चेहरे पर दांहिनी तरफ कनपटी पर, चेहरे पर दायी ओर नाक व होट के मध्य फटा घाव, छिलाव बांये कान के बाहरी किनारे पर, नीलगू निचले होट पर, और पीट के मध्य नीलगू निशान था। उक्त सभी चोटे कठोर एवं बोथरी वस्तु से आना व्यक्त की और उक्त चोटे साक्षी के परीक्षण के 24 घंटे के अन्दर की थी।
- 15— प्रतिपरीक्षण में एम.एल.खरका ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर मुंह के बल गिरे तो 1 लगायत 6 की चोट आ सकती है। डॉ. एम.एल.खरका अ०सा०३ ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार

किया कि आहत को आगे की तरफ पसली में कोई चोट नहीं थी। इस प्रकार जहां फरियादी उसके मुख्य परीक्षण में आंख पसली, हाथ में चोट आना और आरोपीगण द्वारा लात घुसो से मारपीट करना व्यक्त करता है, वहीं चिकित्सीय साक्षी डॉ. एम.एल. खरका द्वारा उनके मेडिकल परीक्षण में फरियादी फुस्सू के आंख पसली एवं हाथ में कोई चोट होना उल्लेखित नहीं है।

- 16— इसके अलावा अभियोजन कहानी अनुसार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी विनिता अ०सा०४ जोकि फरियादी की रिश्ते में बहूं लगती है एवं कल्लू अ०सा०५ जोकि फरियादी का सगा भाई है ने इस बात से स्पष्टतः इंकार किया है कि वे घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे। एक ओर यहां फरियादी फुस्सू उसके प्रतिपरीक्षण में बताता है कि वह शराब नहीं पीता है किन्तु उसका भाई कल्लू उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार करता है कि फरियादी फुस्सू शराब पीता है एवं फरियादी की पत्नी मोहरबाई ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया है कि उसका पति कभी शराब पीकर गिरा भी है। इस प्रकार यह भी संभव है कि फरियादी फुस्सू को जो चोटे आई है वह शराब पीकर गिरने से आई हो। इसके अलावा फरियादी फुस्सू जहां उसके मुख्य परीक्षण में मजद्री करके घर जाना बताता है वही उसकी पत्नी मोहरबाई अ0सा02 उसके कथनो में उसके पति अर्थात फुस्सू के मजदूरी करने जाने वाली बात व्यक्त करती है। इस प्रकार प्रकरण में साक्ष्य आई है उसमें साक्षीगण के कथनो को लेकर उपर वर्णित साक्ष्य में तात्विक तथ्यो को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विसंगतियां है। जिससे साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। इसके अलावा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी विनिता एवं कल्लू ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, जिससे उक्त साक्षीगण से साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 17— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 07.02.2012 को समय रात्रि 9 बजे स्थान फरियादी फुस्सू उर्फ पप्पू के घार के पास लोक स्थल में उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की तथा संत्रासित करने के आशय से क्षिति कारित करने की धमकी दी। अतः आरोपी मोहर सिह, सोनू, दुन्ना के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 बी भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 19— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 20- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

Criminal Case No-43/12

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0